

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 102/2017

गोपाल पिरा कालु जाति भील नि. श्वररूप जी का खेड  
बनाम — प्रार्थी

- (1) हजारी पिरा कालेड जाहि भील निवासी श्वररूप जी का खेड
- (2) लालु पिरा कालेड जाहि भील निवासी श्वररूप जी का खेड
- (3) बनना पिरा कालेड जाहि पहाजन नि. कडुवा  
तह माण्डलगढ — विपक्षीगण.

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 19/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री ~~गोपाल पिरा कालु प्रील~~ ने जरिये अभिभाषक श्री ~~संजय पहाज~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~कीकरण~~ प0ह0 ~~कीकरण~~ तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0  
~~1013/181 रकबा 3 बीघा~~

किता 1 रकबा 3 बीघा — बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/ ~~खातेदार~~ काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~कीकरण~~ की आराजी न0 ~~1013/181 - रकबा 3 बीघा~~

रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।